

# छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

## अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक.....।।.१३.।५.

क्रमांक एफ 10-2/2015/16 :- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :-

हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना

1 योजना का प्रावधान :-

- 1.1 योजना का नाम “हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना” होगा।
- 1.2 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 योजना हेतु पात्रता :-

- 2.1 प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत असंगठित हमाल कर्मकार को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।
- 2.2 योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- 2.3 योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 60 वर्ष वाले हितग्राही पात्र होंगे।

3 योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

- 3.1 आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।
- 3.2 आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आव यक है।
- 3.3 आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

## 4 भुगतान की प्रक्रिया

- 4.1 संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों के स्वयं के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित् किया जावेगा।

4.2 हमाल हेतु जूता, बोरा उठाने का हुक एवं महिला हमालों के लिए सूपा और टोकरी हेतु रूपये 500/- प्रति हितग्राही देय होगा।

## 5 विसंगति का निराकरण—

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

१०/३/५

उप सचिव,

## छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

नया रायपुर, दिनांक ११.७३.१५

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10-2 / 2015 / 16

## **प्रतिलिपि :-**

- सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
  - स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
  - स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
  - श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
  - अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
  - अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
  - सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
  - सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.....(छ0ग0)
  - उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .....(छ0ग0)
  - उप संचालक भासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्र उप सचिव 10/3/15  
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग